

परिशिष्ट संख्या-3

प्रपत्र-द

विन्यास मानचित्र के पूर्णता प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन पत्र
(उपविधि संख्या-2.1.8)

लखनऊ विकास प्राधिकरण

भाग-अ

1. (I) आवेदक का नाम

(II) वर्तमान पता

2. खसरा/भूखण्ड संख्या तथा

योजना का नाम/मोहल्ला/ वार्ड

3. भूखण्ड का क्षेत्रफल(वर्ग मीटर में)

4. अनुमन्य भू-उपयोग

(I) विन्यास मानचित्र स्वीकृति की तिथि

(II) परमिट संख्या

(III) यदि अनाधिकृत विकास का शमन

कराया गया हो तो शमन शुल्क जमा

करने की रसीद संख्या व दिनांक का

विवरण देते हुए शमन मानचित्र की

प्रति संलग्न करें

5. भू-उपयोग का विवरण :

क्रमांक	भू-उपयोग की श्रेणी	स्वीकृत मानचित्र के अनुसार		विकसित		विचलन	
		क्षेत्रफल (व.मी.)	प्रतिशत	क्षेत्रफल (व.मी.)	प्रतिशत	क्षेत्रफल (व.मी.)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
i	आवासीय						
ii	वाणिज्यिक						
iii	अन्य						
iv	पार्क एवं खुला स्थान						
v	सड़कें तथा गलियाँ						

(पृष्ठ 2/4) (प्रपत्र-द विन्यास मानचित्र)

6. सुविधाओं की स्थिति :

क्रमांक	सुविधाएं	स्वीकृत मानचित्र में प्राविधान		पूर्णता मानचित्र में प्राविधान			
		संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)	पूर्ण		अपूर्ण	
				संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)	संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)
(I)	प्राइमरी स्कूल						
(II)	हायर						
	सेकेंडरी स्कूल						
(III)	डिग्री कालेज						
(IV)	डिसपेन्सरी						
(V)	अस्पताल						
(VI)	पोस्ट आफिस						
(VII)	कम्युनिटी						
	सेन्टर						
(VIII)	पुलिस स्टेशन						
(IX)	फायर स्टेशन						
(X)	टेलीफोन						
	एक्सचेंज						
(XI)	बस स्टेशन						
(XII)	टैक्सी स्टैंड						
(XIII)	जन-सुविधाएं						
(XIV)	अन्य सुविधाएं						

7. निम्न विकास कार्य विन्यास मानचित्र पर अंकित करें:-

- (I) सड़कें
- (II) सड़क के किनारे वृक्षारोपण (आरबोरीकल्चर)

- (III) पुलिया (कल्वर्ट)
- (IV) मार्ग प्रकाश व्यवस्था
- (V) पेयजल वितरण प्रणाली जिसमें स्लूइस-वाल्व, एयर वाल्व, फायर हाईड्रेंट दर्शाए गए हों तथा भूमिगत जल नलिकाओं का व्यास अंकित हो।
- (VI) ओवर हैड टैंक व भूमिगत जलाशयों की स्थिति एवं उनकी क्षमता, पम्पों की संख्या एवं उनकी क्षमता।
- (VII) सीवर प्रणाली जिसमें पाइप का व्यास, इन्वर्ट लेबल देते हुए मेन होल, गली पिप्स की स्थिति।
- (VIII) सीवेज, पम्पिंग स्टेशन की स्थिति, उसकी क्षमता तथा पम्पों की संख्या एवं क्षमता (यदि विकासकर्ता द्वारा उक्त विकास किया गया है)
- (IX) बरसाती पानी के निकास की व्यवस्था।
- (X) विद्युत आपूर्ति प्रणाली जिसमें ट्रांसफार्मर्स तथा 11 के.वी.ए. सब-स्टेशन की स्थिति एवं ट्रांसफार्मर्स की क्षमता अंकित हो।
- (XI) सीवर का अन्तिम निस्तारण-विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद/स्थानीय निकाय आदि की ट्रंक सीवर लाइन में जोड़ने का विवरण।

8. शहर की अवस्थापना प्रणाली से संयोजन की स्थिति/व्यवस्था :

- (I) सड़कें
- (II) पानी की निकासी (ट्रंक नाले से जोड़ने की व्यवस्था)
- (III) पेयजल की व्यवस्था (जल संस्थान/विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय आदि से संयोजन की व्यवस्था)
- (IV) विद्युत व्यवस्था (33 के.वी.ए./11 के.वी.ए. लाइन से संयोजन की स्थिति व ट्रांसफार्मर्स की स्थिति)
- (V) सीवर/ट्रंक सीवर से संयोजन की स्थिति

9. विन्यास मानचित्र में आन्तरिक परिवर्तन

- (I) उपविधि के अन्तर्गत है/नहीं है हाँ/नहीं
- (II) यदि उपविधियों के विपरीत है तो उसका शमन हो चुका है। हाँ/नहीं

अथवा

पुनरीक्षित मानचित्र स्वीकृत है।

हाँ/नहीं

(यदि हाँ तो प्रमाण पत्र संलग्न करें)

10. विकास कार्यों के मानकों एवं विशिष्टियों के सम्बन्ध में सूचना:

विन्यास मानचित्र के साथ स्वीकृत विकास कार्यों के मानक एवं विशिष्टियों में कोई विचलन नहीं हुआ है।

अथवा

विकास कार्यों के मानक एवं विशिष्टियों में विचलन है जिसका अनुमोदन सम्बन्धित विभाग से प्राप्त किया जा चुका है (प्रमाण पत्र संलग्न है) अब कोई ऐसा विचलन नहीं है जो सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत न हो।

आवेदक का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण मेरी/हमारी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सत्य है। विन्यास मानचित्र में भू-उपयोग वितरण प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार है। सभी सुविधाएं एवं विकास कार्य अनुबन्ध के अनुसार हैं। अतः मुझे/हमें उपरोक्त वर्णित ले-आउट प्लान का पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जाए।

संलग्नक अभिलेख:

1.

2.

3.

दिनांक:

आवेदन हेतु अधिकृत आवेदक के हस्ताक्षर

नोट : उक्त सूचना केवल आवेदन के लिए अधिकृत व्यक्ति के द्वारा ही दी जाएगी। अधिकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाएगा।